

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना


अधिसूचना संख्या प्र02 वि01-64/2012 - 2052 खाद्य,पटना/दिनांक 28-04-17
 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभियुक्ति
01	02	03	04
01	श्री दानपाल सिंह पिता - स्व0 राजा राम सिंह, पता - ग्राम-भाटेवारा, जंघई बाजार, थाना- पवारा, जिला-जौनपुर (उत्तरप्रदेश)	रोहतास	
02	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, पिता- स्व0 बिहारी लाल श्रीवास्तव पता- मो0 जगदीशपुर, हरिद्वार मार्ग, महालिया चिकित्सालय मार्ग, जिला-बलिया (उत्तरप्रदेश) पत्राचार का पता- रघुवंश अपार्टमेन्ट, बी0-16, जे0डी0 वूमेन कॉलेज, शास्त्रीनगर के पीछे, पटना-23।	कैमूर	
03	श्री अमर ज्योति श्रीवास्तव पिता - स्व0 राजनाथ श्रीवास्तव, पता - 363, न्यू कॉलोनी, (होमगार्ड कार्यालय के पीछे), अर्जिबाग, पो0- प्रधान डाकघर, जिला-आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश), पिन-276001	नवादा	
04	श्री तिलेश्वर राम, पता- मकान सं0-593-A, तुलसीनगर, गाजीपुर (उत्तरप्रदेश)।	सारण	
05	श्री सुनील कुमार सिंह पिता- स्व0 तृपि नारायण सिंह, पता- ग्राम+पो0- हरपुर फटिकबारा, थाना-महानार, जिला- वैशाली, बिहार।	समस्तीपुर	
06	श्री अजय कुमार शुक्ला, पिता- पारस नाथ शुक्ला, पता - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी, बिहार।	सुपौल	

07	श्री सत्यप्रकाश पता- शास्त्रीनगर, रोड नं०-02, पो०+जिला- मुंगेर, बिहार	कटिहार	
08	श्री राजेश्वर तिवारी, पिता- स्व० राम दास तिवारी, पता- 104-B, सुमित इनक्लेव, विश्वेश्वरैया नगर (बिहार कॉलेज ऑफ फॉर्मसी के सामने), थाना-रूपसपुर, पो०-रूपसपुर, दानापुर, जिला- पटना, बिहार।	शेखपुरा	
09	श्री मो० नैमुल्लाह, पिता- स्व० शैख अबदुसमद, पता- गुलाब बाग, फेज-1, पारडीह रोड, पो०- पारडीह, थाना- मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड, द्वारा- अली अहमद खान, गराहीटीर, पो०+थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण (छपरा), बिहार।	बांका	
10	श्री रामदेव पासवान, पिता- स्व० सीता राम पासवान पता- चरखीपर, पो०- मारुफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना, पत्राचार पता-ललिता रेसिडेन्स, फ्लैट नं०- 503, रूपसपुर, दानापुर, पटना (रेलवे लाईन के नजदीक)	पूर्णियाँ	

- अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।
- नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
- योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- प्र02 वि01- 64/2012 - 2058

खाद्य, पटना/दिनांक 28-04-17

प्रतिलिपि- ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को M.S. Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असधारण अंक में अविलंब में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक- प्र02 वि01- 64 /2012 2058

खाद्य, पटना/दिनांक 28-04-17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/निबंधक, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, आर0 ब्लॉक, पटना/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/संबंधित सभी नवनियुक्त अध्यक्ष/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा-02 को 5 अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं प्रशाखा- 05 को एवं आई0 टि0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे संबंधित नवनियुक्त अध्यक्षों को अधिसूचना की प्रति का तामिला अपने स्तर से शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के सचिव